

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री जयसिंह आर.ए.एस.

मि०न० - 28/2020(2020/00183)

अनवान : -

रावतमल पुत्र मलूराम जाति ब्राह्मण निवासी नूवां तहसील भादरा



प्राथी।

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र रिकॉर्ड दुरुस्ती
अन्तर्गत धारा 136लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :- श्री योगेश शर्मा प्रार्थी
राज पैरोकार अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक : 02/03/2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा नूवां के वर्तमान खाता सं 174/155 की कुल 20.9800 हैक्टेयर बारानी की खातेदारी कृषि भूमि में प्रार्थी का अपने भाईयों के साथ 1010 हिस्सा में बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थी का सही एवं वास्तविक रावतराम के स्थान पर रावतमल है।

प्रार्थी की उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम रावतमल की बजाए रावतराम दर्ज रहने से प्रार्थी के हितों पर विपरीत असर पड़ता है। प्रार्थी का आधार कार्ड, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड इत्यादि में प्रार्थी का नाम रावतमल दर्ज है। जिनकी फोटो प्रतियां संलग्न प्रार्थना पत्र है जिससे साफ रोशन है।

प्रार्थी का उपरोक्त जमाबन्दी में रावतमल की बजाए रावतराम दर्ज रहने से प्रार्थी के हितों पर विपरीत असर पड़ता है। प्रार्थी अपनी कृषि भूमि पर किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनवा सकता है और उसका बेहतर उपयोग उपभोग नहीं कर सकता है। प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने नाम उक्त राजस्व रिकार्ड में अंकित अपना नाम रावतराम के स्थान पर अपना सही एवं वास्तविक नाम रावतमल दर्ज करा पाने का मजाज कानूनी है।

ऊपर वर्णित कृषि भूमि से संबंधित राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम रावतमल के स्थान पर रावतराम दर्ज होने से प्रार्थी राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा बैंकों से लेनदेन करने व अन्य राजकीय अनुदान आदि सभी की सरकारी योजनाओं को ऑन लाईन लाभ प्राप्त करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रार्थी का नाम रावतराम दर्ज रहने से प्रार्थी के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है एवं सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं से वंचित होना पड़ता है। प्रार्थी के रोही मौजा नूवां के वर्तमान खाता सं 174/155 में प्रार्थी का नाम रावतमल दर्ज करने से किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान या परेशानी नहीं होती है।

584

उपखण्डाधिकारी (राजस्व,
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)


प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिऐ नोटिस पेश किया गया। अप्रार्थी परोकार राज ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया, जो शामिल पत्रावली किया गया।

बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने रोही मौजा नूवां के वर्तमान खाता सं 174/155 में अपना नाम दुरुस्त करवाने हेतु पेश किया है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि "प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में रावतमल के स्थान पर रावतराम दर्ज हो गया।" जिसके समर्थन में प्रार्थी ने अपनी चित्रप्रति आधार कार्ड, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड व अन्य दस्तावेज पेश किये हैं जिनमें प्रार्थी का नाम रावतमल अंकित है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त रोही मौजा नूवां के वर्तमान खाता सं 174/155 में प्रार्थी का नाम "रावतराम के स्थान पर रावतमल" दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। किसी न्यायालय में कोई आपराधिक वाद या जांच विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए रावतराम ही प्रभावी माना जायेगा तथा नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और भविष्य में कोई अन्य तथ्य प्रकट होता हो तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेवार होगा। तहसीलदार राजस्व भादरा के नाम आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 02/03/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) A.S
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
भादरा जिला हनुमानगढ़